न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 51/2020 RCMS No.–2020/00151

श्रीमति शान्ति देवी पत्नि रामनिवास जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वर
2. रामराय } पुत्रान भौरिया,
3. रामप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण
   जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बुहारिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश सीमाज्ञान दिनांक 09.10.2020 व सीमा ज्ञान दिनांक 16.10.2020 तहसीलदार महोदय सांगानेर।

उपस्थितः–

1. श्री गोगराज चौधरी एवं श्री सुरेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री राजाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.01.2021

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 09.10.2020 जिससे ग्राम जयसिंहपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 0.067 है0, खसरा नंबर 5 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 6 रकबा 0.080 है0 के सीमा ज्ञान के आदेश किये गये से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.10.2020 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी करने तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल सीमा ज्ञान पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या– 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल सीमा ज्ञान पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 0.067 है0, खसरा नंबर 5 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 6 रकबा 0.080 है0 के सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2020 को प्रस्तुत किया जिसे रेस्पा0 संख्या 4 द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned with CamScanner

अवसर प्रदान किये दिनांक 09.10.2020 को आदेश पारित कर दिनांक 16.10.2020 को मौका रिपोर्ट सीमा ज्ञान कर दी गई। उक्त प्रकरण में अपीलांट एवं सीमा जोड खातेदारो को कोई सूचना नोटिस आदि दिये बिना ही सीमा ज्ञान करने में भारी भूल की है। अपीलाधीन आदेश से संबंधित भूमि से सीमा जोड अपीलांट व उसके पति की भूमि है जिस पर अपीलांट व उसके पति काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उक्त भूमि के चारो ओर तारबंदी व लोहे की जाली लगा रखी है, जिससे अपीलांट उक्त आदेश से पीडित पक्षकार है, तथा अपीलांट के हित व अधिकार प्रभावित होते है। अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश दिनांक 09.10.2020 को पारित किया गया एवं मौका रिपोर्ट सीमा ज्ञान दिनांक 16.10.2020 को रेस्पाडेन्ट ने आपस में सांठ–गांठ कर उक्त रिपोर्ट तैयार की है, जबकि कानूनन सीमा ज्ञान के खातेदार काश्तकारो को सूचित कर तथा उनकी उपस्थिति में ही सीमा ज्ञान किया जाकर पक्षकारान के हस्ताक्षर करवाये जाते है, लेकिन तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय कानूनी सिद्वान्तो की अनदेखी कर पारित किया गया है। अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर के समक्ष अपनी भूमि के संबंध में रेस्पाडेन्ट व अन्य के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा व सीमा निर्धारण मय प्रार्थना पत्र बउनतानी शान्ति देवी बनाम कल्याण दिनांक 05.10.2020 को प्रस्तुत किया, जिसमें रेस्पाडेन्ट भी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 व 15 के रूप में पक्षकार है जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2020 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर अपीलांट की भूमि के उपयोग उपयोभ में दखल नहीं देने तथा बिना सीमा ज्ञान पक्का निर्माण नहीं करने बाबत रेस्पा0 को पाबन्द कर रखा है। अपीलांट की ग्राम चक आमझर स्थित भूमि कुल खसरे 22 कुल किता 5.77 है0 के संबंध में अपीलांट व रेस्पाडेन्ट के समक्ष विवाद चल रहा है। दिनांक 16.10.2020 को पटवारी हल्का द्वारा जो फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है उसमें कोई सीमा ज्ञान चिन्ह अंकित नहीं किये गये है तथा कोई नाप भी मौके पर नहीं की गयी है जो अस्पष्ट है जिसका लाभ रेस्पाडेन्ट को प्राप्त नहीं होता है। अपीलांट की भूमि रेस्पाडेन्ट एवं ग्राम चकरामझर की सीमा जोड है, जिससे ग्राम की सीमा के बिन्दू व सीमा चिन्ह से ही भूमि का सीमा ज्ञान किया जाना चाहिए, लेकिन उक्त ग्राम की सीमा बिन्दू से कोई सीमा ज्ञान नहीं किया गया है। रेस्पा0 उक्त आदेश व सीमा ज्ञान की आड में उसका दुरूपयोग कर व उसके आधार पर अपीलांट की भूमि में जबरन कब्जा करने व निर्माण करने व अपीलांट को उसकी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.10.2020 व सीमा ज्ञान दिनांक 16.10.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned with CamScanner

दौराने बहस रेस्पाडेन्ट संख्या–एक ल. तीन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश द्वारा अपीलांट की भूमि किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। सीमा ज्ञान के आदेश में पडोसी खातेदारो की उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं होता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित स्थगन आदेश सीमा ज्ञान आदेश की भूमि पर प्रभावी नहीं होता है। रेस्पाडेन्ट की भूमि पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं है। सीमा ज्ञान हेतु सीमा चिन्ह खसरा नंबर 4 व 9 से चिन्हित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक सिद्वान्तो की पालना करते हुए पारित किया गया है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथन के संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त 2020 आर.आर.डी पेज 83, 2020(2) आर.आर.टी 819, 2020(1) आर.आर.टी 198 पेश किए गए।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन सीमा ज्ञान आदेश तहसीलदार सांगानेर द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए शुल्क जमा कर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट व रेस्पाडेन्ट पडोसी खातेदार काश्तकार है एवं अपीलांट का बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये सीमा ज्ञान आदेश पारित किया गया है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा ग्राम जयसिंह बुहरिया स्थित खसरा नंबर 3, 5, 6 के सीमज्ञान आदेश दिनांक 09.10.2020 को पारित किए गए एवं उक्त खसरो से लगती हुई अपीलांट की भूमि है एवं अपीलांट और रेस्पाडेन्ट के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के मध्य वाद स्थायी निषेधाज्ञा व सीमा निर्धारण बाबत विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा पारित किया गया है, अपीलांट व रेस्पा0 के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर में अपीलांट की सीमा निर्धारण बाबत प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलांट के पडौस में लगती हुई भूमि के सीमा ज्ञान हेतु अपीलांट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना न्यायोचित नहीं है। सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट में भी पटवारी हल्का द्वारा सीमा ज्ञान बिन्दु(मुस्तकिल या पहचान बिन्दु) को स्पष्ट चिन्हित नहीं किया गया है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned with CamScanner

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार जाकर प्रकरण तहसीलदार सांगानेर द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा बुहारिया तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नंबर 3, 5, 6 के सीमा ज्ञान आदेश दिनांक 09.10.2020 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाती है कि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पाडेन्ट्स को साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, सीमा ज्ञान हेतु सीमा बिन्दु चिन्हित करते हुए सीमा ज्ञान आदेश पारित किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति. कलक्टर–प्रथम,
जयपुर

(इकबाल खान)
अति. जिला कलक्टर--प्रथम
कलेक्ट्रेट, जयपुर

Scanned with CamScanner